



Office
Telegrams: PARIYAVAHAN
NEW DELHI
Telephone
Telex (to be equal) W 66105 GGP IN
FAX

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स
PARIYAVAHAN BHAVAN, C.G.O. COMPLEX
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
LODI ROAD NEW DELHI-110003
Dated: 15.05.1998

No.8-64/93-FC

To

The Secretary (Forests),
Govt. of Bihar,
PATNA.

Sub:- Renewal of Mosabeni mining lease over 203.62 ha. of
forest land in favour of M/s. Hindustan Copper Ltd.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. Van Bhu. Khanan
40/93-804-E dated 23.7.93 and this office letter of even number
dated 11.4.97 on the above mentioned subject seeking prior
approval of the Central Government in accordance with Section-2
of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful consideration of the proposal of the State
Government, the Central Government hereby conveys its approval
under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, for
renewal of Mosabeni mining lease over 189.74 ha. (47.49 ha. is
for surface mining already broken up and 142.25 ha. for
underground mining) of forest land in favour of M/s. Hindustan
Copper Ltd. in district East Singhbhum, Bihar, subject to
fulfilment of following conditions:-

- (i) Legal status of forest land shall remain unchanged.
- (ii) Reclamation of the mined area will be done at the project
cost under the supervision of State Forest Department.
- (iii) Free fuelwood will be supplied to the staff and labourers
working at the site at project cost.
- (iv) Penal compensatory afforestation over 94.98 ha. of
degraded forest land shall be raised.

Contd..2/p...


MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

(v) This permission under F(C) Act, 1980 shall be for 20 years coterminous with lease under MMPD Act.

(vi) Demarcation of diverted forest land will be done on the ground at the project cost using 4 ft. height concrete pillars having serial No. bearing and distance from pillar to pillar.

(vii) The user agency will bear the cost of fencing, protection and regeneration of safety zone area and also the cost of afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest area else where.

(viii) Any other condition that the state government may impose from time to time in the interest of afforestation and protection of forests.

(ix) Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

Responsibility may be fixed on the erring officials since the renewal was granted to the user agency in violation of Forest (Conservation) Act, 1980 as mentioned in this office letter of even number dated 11.4.97 and report in this regard may be submitted.

Yours faithfully,

(V.B. KUMAR)

ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

Copy to :-

1. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Bihar, Ranchi.
2. Nodal Officer, Office of PCCF, Govt. of Bihar, Ranchi.
3. The CCF(C), Regional Office, Bhubaneswar.
4. RO(HQ), New Delhi.
5. Guard file.

(V.B. KUMAR)

ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

MAMTA PRIYADARSHI

Divisional Forest Officer

Jamshedpur Forest Division

Jamshedpur

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ0सी),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

राँची, दिनांक- / / 2017

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि0, मुसाबनी को नवीकृत खनन पट्टा 203.62 हे0 में से 47.49 हे0 सतही क्षेत्र के लिए जो खनिज क्षेत्र है तथा 142.25 हे0 अन्डरग्रउन्ड खनन के लिए कुल-189.74 हे0 वनभूमि अपयोजन नवीकरण का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्र संख्या-8-64/1993-FC (Part) दिनांक-01.05.2017
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3246 दिनांक-27.07.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-8-64/1993-FC दिनांक-15.05.1998 द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि0, मुसाबनी खनन पट्टा हेतु कुल-189.74 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका Purpose wise break up निम्नवत् है :-

क्र0सं0	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल		कुल वनभूमि (हे0)
		सतही (हे0)	भूमिगत (हे0)	
1.	मुसाबनी	16.42	57.39	73.81
2.	घोबनी	-	30.08	30.08
3.	पाथरगोड़ा	-	2.34	2.34
4.	सुरदा	31.07	52.44	83.51
	कुल-	47.49	142.25	189.74

कृपया विषयक परियोजना में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/वन भूमि-36/2008-

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/वन भूमि-36/2008-

राँची, दिनांक- 22/12/17

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप-महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

E/16-पत्रांक-LETTER-429 (main)

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Scanned by CamScanner

पत्र संख्या-3/वन भूमि-36/2008-

व०प०

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

मदन सेनगुप्ता,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

विषय:-

मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि०, मुसाबनी को नवीकृत खनन पट्टा 203.62 हे० में से 47.49 हे० सतही क्षेत्र के लिए जो खनिज क्षेत्र है तथा 142.25 हे० अन्डर ग्राउन्ड खनन के लिए कुल-189.74 हे० वन भूमि अपयोजन नवीकरण का प्रस्ताव ।

राँची, दिनांक-

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक महानिरीक्षक, वन, भारत सरकार के पत्रांक-8-54/93-एफ०सी० दिनांक-15.05.1998 द्वारा विषयगत परियोजना की शर्तों के साथ प्रदत्त स्टेज-11 की स्वीकृति का आपके पत्रांक-22 पी०-2 (डी) 93-1370 दिनांक-03.04.2008 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त वर्णित वन भूमि को विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(मदन सेनगुप्ता)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-3/वन भूमि-36/2008-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-अनुपालन प्रतिवेदन सहित सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनु०-यथापरोक्त ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-3/वन भूमि-36/2008-4.12.08 व०प०, राँची, दिनांक-

4.12.08

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner